भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2952
दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

घरों में बिजली गुल होने की आवृत्ति

2952. श्री नरेश गणपत म्हस्केः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री राजेश वर्माः
श्रीमती शांभवीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरों में बिजली गुल होने की बारंबारता के संबंध में आंकड़े रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) ग्रामीण परिवारों को की जा रही विद्युत आपूर्ति के आंकड़े क्या हैं और गरीब तथा ग्रामीण परिवारों को दिए गए प्रोत्साहनों/छूटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों में की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सौभाग्य योजना में पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और पुनरूद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन में इसे रोकने के लिए इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने हमेशा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है, ताकि उन्हें सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ

श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं। सौभाग्य अवधि के बाद विद्युत आपूर्ति के राज्यवार औसत दैनिक घंटे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

राज्य सरकार ही विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहन/छूट सहायता सहित सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारित करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और टैरिफ नीति टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है।

(ग) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में सौभाग्य की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 4.17 लाख घरों को सोलर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युत प्रदान की गई। सौभाग्य के तहत ऑफ-ग्रिड सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(घ) : सौभाग्य के कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों में दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों और वनों जैसी कठिन भौगोलिक स्थितियों में काम करना, चरम मौसम की स्थिति और परियोजना के निष्पादन के लिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता शामिल थी। चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों में पोर्टेबल सबस्टेशन और प्री-फैब्रिकेटेड संरचनाओं जैसे इंजीनियरिंग समाधान, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), ड्रोन और रिमोट पर्यवेक्षण उपकरण जैसी तकनीकें शामिल हैं, जिससे परियोजना निष्पादन में सुधार हुआ। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे श्रमिकों और ठेकेदारों को पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों में प्रभावी और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए तैयार किया गया।

भारत सरकार सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। चूंकि अधिकांश छूटे हुए घर दूरदराज, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं, इसलिए आरडीएसएस के तहत विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई है और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। गैर-विद्युतीकृत घरों को चिन्हित करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ भी संशोधित मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के तहत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और शेष क्षेत्रों के लिए नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, संस्वीकृत कार्यों के लिए नियमित निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके और कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

लो.स.अतारां.प्र.सं.2952

अनुबंध-I

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आपूर्ति के घंटे

राज्य का नाम	2022-23 (ग्रामीण)	2023-24 (ग्रामीण)	2022-23 (शहरी)	2023- 24 (शहरी)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	22.2	22.2	22.6	22.4
आंध्र प्रदेश	23.5	23.6	23.9	23.9
अरुणाचल प्रदेश	18.3	20.1	19.4	22.1
असम	22.5	22.5	23.7	23.8
बिहार	20.1	22.2	23.6	23.6
चंडीगढ़	*	*	22.5	23.8
छत्तीसगढ़	21.6	21.6	23.8	23.8
दिल्ली	*	*	24	24
गोवा	23.8	23.8	23.9	23.9
गुजरात	23.8	23.7	23.8	23.9
हरियाणा	19.4	19.4	23.6	23.8
हिमाचल प्रदेश	23	23	23.9	23.9
जम्मू और कश्मीर	17.7	19	22.5	21.7
झारखंड	21.2	22.1	22.8	23.1
कर्नाटक	22.2	21.4	23.5	23.7
केरल	23.5	22.4	24	24
लद्दाख	22.2	22.2	23.4	23.3
मध्य प्रदेश	20.7	22.6	23.6	23.8
महाराष्ट्र	23.8	23.8	23.9	23.9
मणिपुर	22	22	23.8	23.9
मेघालय	21.9	21.8	22.8	23.1
मिजोरम	23.4	22.3	23.7	23.6
नागालैंड	19	18	21	20
ओडिशा	23.4	23.4	23.5	23.7
पुदुचेरी	22.4	22.7	23.8	23.7
पंजाब	21.8	22.8	23.6	23.7
राजस्थान	21	21.7	23.6	23.9
सिक्किम	21.4	21.5	22.5	22.6
तमिलनाडु	23.9	23.5	24	24
तेलंगाना	21.8	21.9	23.9	24
त्रिपुरा	19.7	22.3	23.9	23.7
उत्तर प्रदेश	17.4	18.1	23.3	23.4
उत्तराखंड	21.4	21.4	23.6	23.7
पश्चिम बंगाल	23.4	23.4	23.8	23.9
राष्ट्रीय औसत	**21.7**	**21.9**	**23.3**	**23.4**

लो.स.अतारां.प्र.सं.2952

अनुबंध-II

सौभाग्य योजना के तहत ऑफ-ग्रिड घरों का विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	घरों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	5,398
2	असम	50,754
3	बिहार	39,100
4	छत्तीसगढ़	65,373
5	झारखंड	7,740
6	कर्नाटक	207
7	लद्दाख	168
8	मध्य प्रदेश	12,651
9	महाराष्ट्र	30,538
10	मणिपुर	3,387
11	मेघालय	598
12	मिजोरम	1,466
13	ओडिशा	13,735
14	पंजाब	0
15	राजस्थान	1,23,682
16	त्रिपुरा	3,601
17	उत्तर प्रदेश	53,234
18	उत्तराखंड	4,837
19	पश्चिम बंगाल	0
कुल		**4,16,469**

****